न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 52/2018

रामकरण पुत्र कल्याणचंद जाति मीणा निवासी राजपुरा तहसील बडोदा मध्यप्रदेश

......वादी

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. शिवचरण } पुत्रान लाला जाति मीणा निवासी राजपुरा तहसील बडौदा मध्यप्रदेश
3. रामचरण }

....प्रतिवादीगण

वाद वास्ते नाम शुद्धि किये जाने अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0 1955

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादी : श्री मनोज कुमार गालव
दायरा दिनांकः 18.06.2018

निर्णय दिनांक : 18.06.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी की शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 344 खसरा नं0 554 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 1396 रकबा 1.65 है0, खसरा नं0 1588 रकबा 1.12 है0, खसरा नं0 1600 रकबा 1.12 है0 कुल किता 4 रकबा 4.03 है0 वाके ग्राम मालबमोरी में स्थित है जमाबंदी सम्वत 2036–40 में सहवन से वादी के पिता का नाम गोपाल दर्ज हो रहा है जबकि सही नाम कल्याण चंद है गोपाल वादी के दादा के भाई का नाम है। मुताबिक वादी वादपत्र एवं छाया प्रति आईडी वादी, आधार कार्ड वादी, राशनकार्ड, व प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मालबमोरी व उदोतपुरा जिला श्योपुर (म0प्र0) व छायाप्रति मनरेगा जोब कार्ड में वादी के पिता का नाम कल्याणचंद दर्ज हो रहा है।

वाद पत्र की पुष्टि पटवारी हल्का एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) द्वारा की गई है इस प्रकार वाद पत्र संलग्न दस्तावेजात रिपोर्ट पटवारी, अनुशंषा लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल जो प्रतिवादी है यह भली प्रकार सिद्ध है कि वाद पत्र के अनुसार वादी के पिता का सही नाम कल्याण चंद होना चाहिए।

अतः ग्राम मालबमोरी की आराजी खाता संख्या 344 खसरा नं0 554 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 1396 रकबा 1.65 है0, खसरा नं0 1588 रकबा 1.12 है0, खसरा नं0 1600 रकबा 1.12 है0 कुल किता 4 रकबा 4.03 है0 में वादी के पिता का नाम गोपाल हजफ कर कल्याण चंद इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मांगरोल तदनुसार पालना करें।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प मालबमोरी मजमेंआम में सुनाया गया।